

प्रेषक,

बीरेश कुमार,  
प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं  
मनोरंजन कर विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓कमिश्नर,  
वाणिज्य कर,  
उ० प्र०, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु०-2 लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2016

विषय:- पैडी हस्क पर करदेयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-विधि-2(1) पैडी हस्क-(15-16)/163/

अति महत्वपूर्ण

वाणिज्य कर, दिनांक 28-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

एडि० कमि०  
(Law)

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैडी हस्क पर दिनांक 29 जनवरी, 2015 के पूर्व आरोपित कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2017 तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाय। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कमिश्नर

30.05.2016

725  
30-5-2016

J. C. (Finance)  
लखनऊ परिसर/उ० प्र०/16

कमिश्नर (मनोरंजन कर)  
31/05/16

56  
30-5-16

64  
31/5/16

भवदीय,


(बीरेश कुमार)  
प्रमुख सचिव।



पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनु0-2 को उनके पत्र संख्या-680 /ग्यारह-2-16-9 (11) /14 दिनांक 27-05-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/गेड-2 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी उत्तर प्रदेश को शासन से प्राप्त आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ कि पैडी हस्क पर दिनांक 29-01-2015 के पूर्व आरोपित कर , ब्याज एवं अर्थदण्ड की वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 31-03-2017 तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाय । कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करने का कष्ट करे ।

  
(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।